भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5332

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत लक्ष्य

5332. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
कैप्टन बृजेश चौटाः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री पी. सी. मोहनः
डॉ. के. सुधाकरः
डॉ. भोला सिंहः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री आलोक शर्माः
श्री नव चरण माझीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति हुई है;
(ख) क्या अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण दरों में सुधार के लिए एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत कोई नई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार स्वच्छता पहलों में जन भागीदारी और जागरुकता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजना बना रही है;
(घ) क्या इस संबंध में सीधी संसदीय क्षेत्र में सिंगरौली नगर निगम के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने एसबीएम-यू के कार्यान्वयन में कोई कमी पाई है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(च) नहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अवसंरचना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) : भारत सरकार ने खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत की थी। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है।

अब तक 63.75 लाख आईएचएचएल शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जो मिशन लक्ष्य 58.99 लाख (108.06%) से अधिक है तथा 5.07 लाख (125.44%) के मिशन लक्ष्य के मुकाबले 6.36 लाख सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) सीटों का निर्माण किया जा चुका है।

इसके अलावा, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वच्छता पोर्टल पर बताया है कि 97.69% वार्डों में यानी कुल 96,194 वार्डों में से 93,981 वार्डों में 100% घर-घर जाकर संग्रहण किया जा रहा है और 90.39% वार्डों में यानी कुल 96,194 वार्डों में से 86,955 वार्डों में स्रोत प्रथक्करण किया जा रहा है। 2014 में 16% के मुकाबले, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण प्रतिदिन उत्पन्न कुल कचरे का 80.49% है यानी कुल 1,61,157 टीपीडी अपशिष्ट में से अपशिष्ट प्रसंस्करण 1,29,708 टन प्रतिदिन (टीपीडी) है।

(ख) से (च) : संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है और भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शक्ति का हस्तांतरण किया गया है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना, क्रियान्वित करना और संचालन करना राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है।

सीधी संसदीय क्षेत्र में सिंगरौली नगर निगम सहित राज्यों/यूएलबी को सहायता प्रदान करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर

मैनुअल/मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) साझा करके नीतिगत निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएँ और दिशा-निर्देश जारी करता है। शोधन प्रौद्योगिकियों का चयन यूएलबी/राज्य सरकारों को करना होता है।

इसके अलावा एसबीएम-यू के तहत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों, प्रयुक्त जल प्रबंधन संयंत्रों, शौचालयों के निर्माण, अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमताओं की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने वाली क्षमता निर्माण पहलों की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से की धनराशि जारी की जाती है।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन अभियानों के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर नागरिकों तक पहुंच बनाई जा सके, ताकि जन आंदोलन को तेज किया जा सके और स्वच्छ व्यवहार तथा संबंधित कार्यों को संस्थागत रूप दिया जा सके, ताकि अपशिष्ट मुक्त शहर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

*****